

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- मार्च 26, 2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 154 वाहनों का चालान किया गया व 05 वाहनो से 2500/ रुपया शमन शुल्क वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 20 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त शिवकुमार गुप्ता उर्फ छोटू पुत्र मोसू गुप्ता नि0 मंगलापुर थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 90 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-44/21 धारा 60/63आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.श्रवण पुत्र पूर्णवासी चौहान नि0 जंगल गुलहरिया थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-59/21 धारा-60(1) 2. समजीत पत्नी पूर्णवासी चौहान सा0 देहा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 60/21 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजू जायसवाल पुत्र राश्राय नि0 वार्ड नं0 3 थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-60/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त प्रमोद गुप्ता पुत्र राजेन्द्र नि0 कैलासनगर थाना सोनौली के कब्जे से 35 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-66/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

*** धारा 41/411 भा0द0वि0 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-***

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. गणेश पुत्र परदेशी सा0 चण्डी 2. रोशन पुत्र मोहम्मद अली सा0 वार्ड नं0-12 विस्मिलनगर थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-73/21 धारा-41/411ipc का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
कर विधिक कार्यवाही की गयी।

आर्म्स अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सलीम पुत्र साबिर सा0 लक्ष्मीपुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01अदद कट्टा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूत बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-61/21 धारा-3/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण*-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-08 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

***जनपद में 26/26-3-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 27 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी* ।**